वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + **91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi**

संख्या: पीआरओ 196/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 25/2020

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन व स0पु0अ0/क्षेत्राधिकारी कैण्ट के कुशल नेतृत्व में दिनांक 24-09-2020 को थाना सारनाथ पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र, संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर पंचकोसी चौराहे के पास रेलवे अण्डर पास से एक संदिग्ध व्यक्ति को समय 23.25 बजे पकड़ा गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पूछा गया तो अपना नाम अमरनाथ पाण्डेय उर्फ निक्की पुत्र मंगलेश्वर पाण्डेय निवासी आशापुर थाना सारनाथ वाराणसी बताया, जिसके कब्जे से 980 ग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के संबंध में थाना सारनाथ पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- अमरनाथ पाण्डेय उर्फ निक्की पुत्र मंगलेश्वर पाण्डेय निवासी आशापुर थाना सारनाथ वाराणसी उम्र करीब 27 वर्ष ।

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास

1) मु0अ0सं0 560/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सारनाथ वाराणसी ।
2) मु0अ0सं0 0367/2019 धारा 41, 411 भादवि थाना शिवपुर वाराणसी ।

बरामदगी का विवरण

- 980 ग्राम नाजायज गांजा

गिरफ्तार करने वालीपुलिस टीम का विवरण

1. उ0नि0 मिथिलेश कुमार- चौकी प्रभारी पुरानापुल थाना सारनाथ जनपद वाराणसी
2. का0 देवेन्द्र कुमार यादव थाना सारनाथ वाराणसी
3. का0 राजेन्द्र यादव थाना सारनाथ जनपद वाराणसी

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया
सेल
जनपद
वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 197/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 25/2020

प्रेस नोट

दिनांक 25/09/2020 को थाना लोहता के उ0नि0 दिनेश कुमार मौर्या मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व शान्ति व्यवस्था ड्यूटी में रोहनिया तिराहे पर मौजूद थे इसी दौरान जरिये मुखबिर सूचना मिली कि मु0अ0सं0 224/2020 धारा-279/304ए भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त मनोज कुमार साहनी जो रामरायपुर गेट के पास एक्सीडेन्ट करके भागा है वह इसी रोड से कलेक्ट्रीफार्म होते हुए कहीं जाने की फिराक में है, यदि जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पर विश्वास करके उ0नि0 दिनेश कुमार मौर्य द्वारा मय हमराह पुलिस बल के रोहनिया तिराहे पर आने जाने वाले व्यक्तियों की सघनता से चेकिंग की जाने लगी कि कुछ ही देर बाद एक व्यक्ति मोटर साइकिल होण्डा शाइन संख्याःयूपी-65 डीवी-7345 से आता हुआ दिखाई दिया, जिसे दूर से ही देखकर मुखबिर ने इशारा करके बताया कि यह वही व्यक्ति है जो एक्सीडेन्ट करके भागा था। मौके पर मौजूद पुलिस बल द्वारा नजदीक आने पर अभियुक्त मनोज कुमार साहनी उपरोक्त को एकबारगी दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया गया। जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल संख्याःयूपी-65 डीवी-7345 बरामद हुई। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना लोहता पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

➢ मनोज कुमार साहनी पुत्र स्व0 गनेश प्रसाद साहनी निवासी म0नं0 ए 38/224 कोनिया थाना आदमपुर जनपद वाराणसी।

बरामदगी का विवरण–

1- घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटर साइकिल संख्याः यूपी-65 डीवी-7345

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री दिनेश कुमार मौर्या व का0 शंकर राम थाना लोहता जनपद वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया
सेल
जनपद
वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 198/2020 दिनांक: सितम्बर, 25/2020

प्रेस नोट

दिनांक 24.09.2020 को थाना चोलापुर के उ0नि0 प्रेमनारायन विश्वकर्मा मय हमराह के देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में चौका भुसौला जाने वाले तिराहे पर मौजूद थे कि मुर्दहा बाजार की तरफ से 02 बाइक सवार व्यक्ति आते दिखायी दिये, जो हम पुलिस वालो को देखकर पीछे मुड़कर भागने का प्रयास करने लगे। संदेह होने पर मौके पर मौजूद पुलिस बल द्वारा घेरकर पकड़ लिया गया। तलाशी लेने पर इनके कब्जे से 1180 ग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना चोलापुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 0396/2020 धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्तगण विकास पटेल व शरद पटेल को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

- विकास पटेल पुत्र बच्चे लाल पटेल निवासी म0न0 SH2/51DS मीरापुर बसही थाना शिवपुर वाराणसी। उम्र 24 वर्ष।
- शरद पटेल पुत्र स्व0 राजेन्द्र पटेल निवासी ग्राम सरसौली थाना कैन्ट वाराणसी उम्र 26 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

- 01 किलो 180 ग्राम नाजायज गांजा
- एक अदद मोटर साइकिल होन्डा शाइन (JKO3K9954)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0प्रेमनारायन विश्वकर्मा, का0 मुरारी यादव, का0 मनोहर यादव, का0 वसीम खाँन व का0 संजय चौहान थाना चोलापुर, वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया
सेल
जनपद
वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 199/2020 दिनांक: सितम्बर, 25/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 25-09-2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखने एवं जनपद में कानून/शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों पर पंजीकृत चोरी/लूट/हत्या/गुण्डागर्दी के मुकदमें में वांछित सक्रिय अपराधियों की निगरानी हेतु हिस्ट्रीशीट की कार्यवाही की गयी है, जिनका विवरण निम्नवत है-

1. सरफराज उर्फ पीर पुत्र निजामुद्दीन निवासी के0 49/136 अमियामण्डी थाना कोतवाली वाराणसी उम्र 22 वर्ष। अपराध (चोरी/लूट)
2. मनीष पाण्डेय पुत्र अंजनी पाण्डेय निवासी के 47/292 कुतुआपुरा थाना कोतवाली वाराणसी उम्र-33 वर्ष। अपराध (हत्या)
3. रिजवान अहमद पुत्र महबूब अली निवासी जे0-35/42 जामा मस्जिद के पास नक्खीघाट थाना जैतपुरा वाराणसी उम्र-31 वर्ष। अपराध (लूट)
4. श्रवण कुमार मिश्रा पुत्र स्व0 काशीनाथ मिश्रा निवासी भिखारीपुर (खरावन) थाना बड़ागॉव वाराणसी उम्र-34 वर्ष। अपराध-(हत्या/गुण्डागर्दी)
5. तीरथ उर्फ तिलक साहनी पुत्र दुक्खु साहनी निवासी ग्राम मलहिया थाना लंका, वाराणसी उम्र-22 वर्ष। अपराध-(चोरी)

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया
सेल
जनपद
वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 200/2020 दिनांक: सितम्बर, 25/2020

प्रेस नोट

थाना कपसेठी पुलिस द्वारा गैंगेस्टर के अभियुक्त रमाकान्त यादव के आपराधिक कृत्यो से अर्जित सम्पत्ति से क्रय की गयी 01 अदद पिकअप बोलेरो वाहन कीमत रु0-4,86,465/- की गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

थाना कपसेठी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 123/20 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अभियुक्त रमाकान्त यादव पुत्र शिवमूरत यादव निवासी सोहदवार नरही थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली, एक शातिर पेशेवर अपराधी है। जिसके द्वारा अपने आपराधिक कृत्यों से अर्जित सम्पत्ति से क्रय की गयी 01 अदद पिकअप बोलोरो का प्रयोग अपराध कारित करने में किया जाता था। आज दिनांक 25-09-2020 को वाहन संख्या यूपी-65 एचटी-2982 पिकअप बोलोरो जिसकी कीमत आर0टी0ओ0 वाराणसी के अनुसार रु0-4,86,465/- निर्धारित की गयी है, को जिलाधिकारी

वाराणसी द्वारा प्राप्त आदेश के अनुपालन में उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप(निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जब्तीकरण (कुर्क) की कार्यवाही की गयी।

आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0-09/2020 धारा-279 भादवि 3/5A/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना मिर्जामुराद, वाराणसी।
2- मु0अ0सं0-123/2020 धारा-3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट मिर्जामुराद वाराणसी।

विवरण बरामदगीः-

- वाहन संख्या यूपी-65 एचटी-2982 पिकअप बोलोरो

पुलिस टीम का विवरणः-

- प्रभारी निरीक्षक कपसेठी राजू दिवाकर, उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार यादव, उ0नि0 श्री राजदर्पण तिवारी, का0 जितेन्द्र यादव, का0 आशीष सिंह, का0 मिथिलेश यादव थाना कपसेठी जनपद वाराणसी

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 201/2020 दिनांक: सितम्बर, 25/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 25-09-2020 को जिला न्यायाधीश वाराणसी, जिलाधिकारी वाराणसी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा केन्द्रीय कारागार वाराणसी की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया तथा केन्द्रीय कारागार के अधिकारियों/कर्मचारियों को सुरक्षा के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गए।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 202/2020 दिनांक: सितम्बर, 25/2020

प्रेस नोट

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, गैर जरुरी तौर से होटल/गेस्ट हाऊस/दुकानें खुली रखने वाले संचालकों, कालाबाजारी करने वालों व राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन से सम्बन्धित नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 25-09-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए *कुल 35 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा *84 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व धारा-51 आपदा प्रबन्ध अधिनियम* के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों, 14 बार्डर प्वाइंट व 49 पुलिस नाकों पर सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए *कुल 2325 वाहनों का चालान, 48 वाहनों को सीज तथा 403 वाहनों से रु0-2,93,500/- समन शुल्क वसूल* किया गया।

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न

थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के आदेशानुसार आज दिनांक 25-09-2020 को जनपद वाराणसी राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन से सम्बन्धित नियमों का उल्लंघन करने वाले तथा बिना मास्क पहने घूम रहे व्यक्तियों के विरूद्ध अभियान चलाकर बिना मास्क धारण किये *कुल 1136 व्यक्तियों से रु0-69,800/- जुर्माना* जमा कराया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया
सेल
जनपद
वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 203/2020 दिनांक: सितम्बर, 25/2020

प्रेस नोट

दिनांक 31-08-2020 को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपने दो अलग-अलग मोबाइल नंबरो से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के सी0यू0जी0 मोबाईल पर फोन कर अपना परिचय मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 कार्यालय लखनऊ से पीसीएस अधिकारी मोतीलाल सिंह के रुप में देते हुए वार्ता की गयी। एसएसपी वाराणसी द्वारा शंका होने पर पीआरओ राजीव रंजन उपाध्याय से उक्त व्यक्ति की जांच करायी गयी। जांच से ज्ञात हुआ कि सम्बन्धित मोबाईल नंबर बृजेश कुमार मौर्या निवासी एस-13/55 तेलियाबाग वाराणसी के नाम पर पंजीकृत है। बृजेश कुमार मौर्या पुत्र कृष्णा भगत मूलरुप से ग्राम गौरी थाना दरौली जनपद सिवान बिहार का निवासी है, जिसका हाल-पता एस-09/142 जेड-03 नई बस्ती हुकुलगंज थाना लालपुर-पाण्डेयपुर वाराणसी है, जो कमीशन लेकर ठेकेदारों को लेबर सप्लाई करने का कार्य करता है। उक्त व्यक्ति द्वारा विभिन्न नंबरो से अलग-अलग जनपदों में नियुक्त वरिष्ठ अधिकारियों को गुमराह कर अपना फर्जी पद बताते हुए व्यक्तिगत लाभ हेतु दुरुपयोग कर मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय की छवि धूमिल करने का कार्य किया जाता रहा है। आज दिनांक

25-09-2020 को पीआरओ राजीव रंजन उपाध्याय की तह्रीर पर थाना लालपुर-पाण्डेयपुर में मु0अ0सं0-157/2020 धारा-419/420 भादवि व 66सी आईटी एक्ट पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।